प्रक्रिया संहिता

CODE OF PROCEDURE

गांधी शान्ति पुरस्कार

GANDHI PEACE PRIZE

Amended Section 4 Chapter IV vide order F.No. 19-1/2021-GHSM dated 19th March, 2021

प्रक्रिया संहिता
CODE OF PROCEDURE

गांधी शान्ति पुरस्कार
GANDHI PEACE PRIZE

प्रक्रिया संहिता

अहिंसा के द्वारा
सामाजिक, आर्थिक और
राजनैतिक परिवर्तन के लिए

गांधी शान्ति पुरस्कार

अध्याय 1

पुरस्कार संबंधी विवरण

1. यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाएगा।

2. प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार दिया जाएगा जिसके अंतर्गत एक करोड़ रुपए की राशि और एक प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाएगा।

3. **संयुक्त पुरस्कारः** पुरस्कार ऐसे दो व्यक्तियों में बाँटा जा सकता है जिन्हें जूरी विशिष्ट वर्ष में समान रूप से सम्मान प्राप्त करने का हकदार समझती है।

4. **मरणोपरान्त पुरस्कारः** उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य पर पुरस्कार देने के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिसका निधन हो गया है। लेकिन इस प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार जूरी को प्रस्ताव भेजे जाने के उपरान्त यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मरणोपरान्त पुरस्कार दिया जा सकता है।

अध्याय 2

पुरस्कार के लिए पात्रता

1. इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं, चाहे वह किसी भी राष्ट्र, प्रजाति, धर्म अथवा लिंग से संबंध रखने वाले हों।

2. संघ, संस्था अथवा संगठन भी पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

3. पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचारार्थ पात्र होने के लिए समान्यतः यह अनिवाग्र होगा कि उस व्यकित की संस्तुति इस संहिता के अध्याय 4 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जो इसके लिए प्राधिकृत है, लिखित रूप में की गई हो।

4. पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय 3

पुरस्कार की अवधि

1. पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। इसे वर्ष 1995 से प्रारंभ किया जाएगा तथा इसके पश्चात् प्रति वर्ष दिया जाएगा।
2. लेकिन यदि यह समझा जाता है कि दिए गए प्रस्तावों में से कोई भी प्रस्ताव सम्मान के योग्य नहीं है तो जूरी उस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान न किए जाने के लिए स्वतंत्र होगी।
3. पुरस्कार के लिए उसी हाल के कार्य पर विचार किया जाएगा, जो नामांकन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के अन्दर सम्पन्न किया गया हो।
4. पूर्ववर्ती खंड के बावजूद, इस अवधि से पहले के कार्य पर भी विचार किया जा सकता है यदि उस कार्य का महत्व हाल ही में पता चला हो।

अध्याय 4
प्रस्ताव भेजने की सक्षमता

1. पुरस्कार के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए निम्नलिखित को सक्षम माना जाएगा–

   (क) जूरी के पूर्व सदस्य;

   (ख) पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति;

   (ग) भारतीय सांसद;

   (घ) पिछले पाँच वर्षों के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता;

   (ङ) संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तथा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अथवा संस्थानों के अन्य नेतागण जिनका उद्देश्य शांति, अहिंसा और समाज के वंचित वर्गों का उद्धार करना, सहिष्णुता, समाजिक सद्भावना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना रहा है;

   (च) विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं उप–कुलपति;

   (छ) प्रस्ताव को भेजने वाले संबंधित देश की प्रमुख संबंधित संस्थाओं और विशेषज्ञों के ध्यान में लाने एवं उनसे परामर्श करने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों के प्रमुख;

   (ज) अहिंसा और गांधीवादी सिद्धांतों पर अध्ययन और शोध से संबंधित संस्थानों के प्रमुख;

(झ) लोक सभा/राज्य विधान सभाओं/परिषदों के पीठासीन अधिकारी;

(ञ) राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के राज्यपाल/मुख्यमंत्री;

(ट) महासचिव, राष्ट्रमंडल;

(ठ) राष्ट्रमंडल संसदीय संघ;

(ड) अंतर्संसदीय संघ; और

(ढ) कोई अन्य व्यक्ति जिसे जूरी प्रस्ताव भेजने के लिए कहना चाहे।

2. सचिवालय प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में खंड 1 के उपबंधों के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों से नामांकन आमंत्रित करने के संबंध में पत्र जारी करेगा।

3. **प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की तिथिः**

जूरी उस वर्ष के दौरान, जिसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, ऐसे सब प्रस्तावों पर विचार करेगी जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में 30 अप्रैल तक प्राप्त हुए हों। यदि अध्यक्ष चाहें तो इस समय सीमा को सब प्रस्तावों अथवा किसी विशिष्ट प्रस्ताव के लिए बढ़ा सकते हैं।

4. साधारणत : केवल नामांकन करने हेतु आमंत्रित सक्षम व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा। तथापि, निर्णायक मंडल द्वारा विचार किए जाने

के लिए किसी भी प्रस्ताव को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वह अध्याय IV की धारा 1 में उल्लिखित सक्षम व्यक्तियों से प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे सभी मामलों में, निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

इस संहिता में शामिल किसी विपरीत बात के होने के बावजूद, निर्णायक मंडल स्वेच्छा से भी नामांकन कर सकता है।

5. विचारार्थ प्रस्तावों के साथ एक विस्तृत आलेख भेजा जाना चाहिए।

अध्याय 5

प्रस्तावों का मूल्यांकन

1. किसी भी कार्य को पुरस्कार के योग्य केवल तभी समझा जाएगा, जबकि जूरी की राय में, वह महात्मा गांधी के शांति व अहिंसा के उन आदर्शों को प्रोन्नत करने में उत्कृष्ट हो, जिनके प्रति वे आजीवन समर्पित रहे।

2. पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाए, जिसने समाज के वंचित वर्गों के मानवीय कष्टों को दूर करने एवं शांति व अहिंसा के क्षेत्र में निःस्वार्थ सेवा की हो और उसने उच्च लोक पद पर रहते हुए अथवा अन्यथा सामाजिक न्याय व सद्भावना लाने में योगदान दिया हो।

3. केवल वही लिखित कृति पुरस्कार के लिए पात्र होगी जो प्रकाशित भी हुई हो।

4. यदि लिखित व प्रकाशित कार्य का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए जूरी यह अनिवार्य समझती है कि वह विषय–वस्तु से अवगत हो और यदि जूरी इस बात से संतुष्ट है कि विषय–वस्तु का अंग्रेजी अथवा हिंदी में अनुवाद करने का कार्य बहुत ही श्रम–साध्य और खर्चीले स्वरूप का है तो जूरी उस प्रस्ताव पर आगे और विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

अध्याय 6
चयन

1. पुरस्कार संबंधी अपेक्षित संवीक्षा और अंतिम चयन भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त की गई जूरी द्वारा किया जाएगा।

2. जूरी में पांच सदस्य होंगे अर्थात् भारत के प्रधान मंत्री जो जूरी के अध्यक्ष होंगे; भारत के मुख्य न्यायाधीश; लोक सभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता अथवा जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, तो उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता; और दो अन्य प्रख्यात व्यक्ति।

3. जूरी के सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। तीन स्थायी पदेन सदस्यों को छोड़ कर चयनित सदस्य तीन वर्ष पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

4. यदि जूरी का कोई सदस्य अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही सेवानिवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शेष कार्यकाल के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा।

5. *भारत के प्रधान मंत्री जूरी के अध्यक्ष होंगे।* यदि किसी कारणवश उनके लिए बैठक में उपस्थित हो पाना संभव

नहीं है तो बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से ही किसी सदस्य का चयन कर लेंगे।

6. जूरी केवल तभी अंतिम निर्णय लेने में सक्षम होगी जब उसके कम से कम तीन सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे।

7. जूरी का निर्णय मतैक्य से होगा।

8. पुरस्कार से संबंधित जूरी की चर्चाओं, परिचर्चाओं, अभिमतों और कार्यवाही को न तो सार्वजनिक तौर से बताया जाएगा और न ही उनका खुलासा किया जाएगा।

9. जहाँ तक संभव होगा जूरी अपने निर्णय की उद्घोषणा दिनांक 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर करेगी।

10. जूरी के निर्णयों की पुष्टि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी और उनके विरुद्ध कोई अपील अथवा विरोध नहीं किया जा सकता है।

अध्याय 7

पुरस्कार वितरण

1. पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा।

2. पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और, यदि संभव हो, तो उससे उस कार्य से संबंधित एक लोक व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है।

3. प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

4. **पुरस्कार का भुगतानः** पुरस्कार राशि का भुगतान संस्कृति मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए समय व स्थान पर किया जाएगा।

5. **पुरस्कार की अस्वीकृतिः** यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार लेने से इंकार करता है तो वह राशि तत्काल भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी। तथापि, यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार स्वीकार करता है लेकिन 36 माह की अवधि के भीतर उस राशि को आहरित करने में विफल रहता है तो वह राशि भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी।

6. बिना पुरस्कार प्राप्त किए पुरस्कार प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर उनके परिजन पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार होंगे।

अध्याय 8
सामान्य

---

1. जूरी का कोई भी सदस्य संहिता में संशोधन का प्रस्ताव करने में सक्षम होगा। अस्थाई तौर पर जूरी के सदस्य यह निर्णय लेंगे कि ऐसा परिवर्तन किया जाए अथवा नहीं लेकिन ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन को संहिता में तब तक समाविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक भारत सरकार की सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती।

2. जूरी के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् संहिता में परिवर्तन करने का अधिकार भारत सरकार को भी होगा।

3. पुरस्कार संबंधी आवश्यक वित्त पोषण और तत्संबंधी सभी आकस्मिक व्ययों की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

4. पुरस्कार के लिए सचिवालय की व्यवस्था संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

Code of Procedure

GANDHI PEACE PRIZE

FOR

SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL TRANSFORMATION THROUGH NON-VIOLENCE

Chapter I

Description of the Award

1. The Award shall be given for Social, Economic and Political transformation through Non-violence and other Gandhian methods.
2. There shall be one Award each year and it shall carry an amount of Rupees One Crore and a Citation.
3. **Joint Award:** The Award may be divided between two persons who are considered by the Jury to be equally deserving of recognition in a given year.
4. **Posthumous Award:** Work by a person since deceased cannot be the subject of an Award. If, however, his death occurred subsequent to a proposal having been submitted to the Jury in the manner stipulated in this Code, then a Posthumous Award may be made.

Chapter II

Eligibility for Award

1. The Award is open to all persons regardless of nationality, race, creed or sex.

2. An association, institution or organisation shall also be eligible for the Award.

3. To come under consideration for the Award, it would ordinarily be necessary that a person shall be recommended in writing by someone with the competence thereof in accordance with Chapter IV of this Code.

4. Personal applications for the Award shall not be considered.

Chapter III

Period of Award

1. The Award shall be made annually starting with the year 1995 and every year thereafter.
2. If, however, it is considered that none of the proposals that have been made merit recognition, the Jury will be free to withhold the Award for that year.
3. Only recent work achieved within ten years immediately preceding the nomination shall be considered for the Award.
4. The preceding section notwithstanding, older work may be considered if its significance has not become apparent until recently.

Chapter IV

Competence to make Proposals

1. Competence to make proposals for the Award shall be enjoyed by;

    (a) Former members of the Jury;

    (b) Persons who have received the Award;

    (c) Members of Parliament of India;

    (d) Nobel Laureates for the last five years;

    (e) The Secretary-General of the United Nations and other leaders in international organisations or institutions whose objectives are promotion of peace, non-violence and emancipation of less privileged sections of society, tolerance, social harmony and social justice;

    (f) Chancellors and Vice Chancellors of the Universities;

    (g) Heads of Indian Missions abroad for bringing it to the notice of and for consulting major relevant institutions and experts of the country concerned;

(h) Heads of Institutions relating to studies and research in non-violence and Gandhian principles;

(i) Presiding Officers of Lok Sabha / State Assemblies/Councils;

(j) Governors/Chief Ministers of the States/ UTs Administration;

(k) Secretary-General, Commonwealth;

(l) Commonwealth Parliamentary Union;

(m) Inter-Parliamentary Union; and

(n) Any other person whom the Jury may wish to invite to make proposals for the Award.

2. Every year the Secretariat shall issue letters in the first week of January inviting nominations from competent persons in accordance with the provisions of Section 1.

3. **Date for submission of Proposals:** The Jury shall consider such proposals as have been received in the office of the Government of India, Ministry of Culture up to and including 30th April of the year for which the Award is to be given, unless the

Chairman is of the opinion that such time should be extended either in general or with reference to a particular proposal

4. Ordinarily only proposals emanating from competent persons invited to nominate shall be considered. However, a proposal shall not be invalid for consideration by the Jury merely on the ground of not having emanated from competent persons mentioned in Section 1 of Chapter IV. In all such cases, the decision of the Jury shall the final.

   The Jury can also make a suo-moto nomination, notwithstanding anything to the contrary contained in this Code.

5. Proposals to be considered should be accompanied by a detailed write-up.

Chapter V

Evaluation of Proposals

1. No work shall merit an Award unless it is, in the opinion of the Jury, outstanding in promoting the ideals of Peace and Non-violence to which Mahatma Gandhi was devoted throughout his life.

2. The Award may be made to a person who has worked selflessly for peace, non-violence and amelioration of human sufferings particularly of the less-privileged section of Society contributing towards social justice and harmony irrespective of whether he holds a high public office or not.

3. A written work, in order to be eligible for consideration of the Award, shall have been published.

4. If for the full assessment of a written and published work, the Jury considers it necessary to make itself acquainted with its contents and if the Jury is satisfied that the contents cannot be translated into English or Hindi without very considerable trouble and

expense, then Jury shall not be under obligation to give the proposals further consideration.

Chapter VI

Selection

1. The requisite scrutiny and final selection for the Award shall be made by a Jury to be appointed by the Government of India for this purpose.

2. The Jury shall comprise five members, i.e. the Prime Minister of India, who would chair the Jury; the Chief Justice of India; the Leader of Opposition recognized as such in the Lok Sabha or where there is no such Leader of Opposition then, the Leader of the single largest opposition party in that House; and two other eminent persons.

3. Members of the Jury shall be appointed for a period of three years. After three years those chosen, other than the three permanent ex-officio members, shall retire. The retiring persons shall, however, be eligible for reappointment.

4. If a member of the Jury retires or dies before the expiry of his term in office, another shall be appointed in his place for the unexpired part of that term.

5. The Prime Minister of India shall be the Chairman of the Jury. If for some reason it is not possible for him to be present in a meeting, the members present in the meeting may elect one member amongst them to preside over the meeting.

6. The Jury shall not be competent to take a final decision unless at least three of its members are present.

7. The decision of the Jury shall be by consensus.

8. The discussions, deliberations, opinions and proceedings of the Jury in connection with the Award shall not be made public or otherwise revealed.

9. The Jury shall announce its decision, as far as possible, on birth anniversary of Mahatma Gandhi which is 2nd October.

10. Decisions of the Jury shall not be subject to confirmation by any other authority and no appeal or protest can be made against them.

Chapter VII

Presentation of Award

1. Presentation of the Award shall be made at New Delhi at a special ceremony.

2. The awardee shall be invited to receive the Award in person and, if possible, to give a public lecture connected with the work for which the Award has been made.

3. In addition to the amount of the Award, a Citation will be presented to each awardee.

4. **Payment of Award:** The Ministry of Culture will make payment of the amount of the Award at the time and place requested by the Awardee.

5. **Non-acceptance of Award:** Should an awardee decline an Award, then the amount will immediately revert to the Government of India. But if an awardee accepts the Award yet fails to draw the amount within the period of 36 months, then the amount shall revert to the Government of India.

6. In the event of death of an Awardee without receiving the Award, his next of kin shall be entitled for receiving the Award.

Chapter VIII

General

1. It will be competent for any member of the Jury to propose an amendment in the Code. The members of the Jury for the time being shall decide whether such a change should be made or not but a change so proposed will not be incorporated in the Code until the consent of the Government of India is obtained.

2. The Government of India shall also have the right to make changes in the Code with prior consultation of the Jury.

3. The necessary finance for the Award and for all expenses incidental thereto shall be provided by the Government of India.

4. The Secretariat for the Award shall be provided by the Ministry of Culture.